नईदुनिया
इंदौर, गुरुवार 18 अगस्त 2016

बच्चे क्या देख रहे हैं, निगरानी जरूर करें

जैसे-जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसी गति से इससे होने वाले खतरे भी बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक, भारत में 46 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं, जो दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा है। भारत ने इसी साल इंटरनेट कनेक्शन के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ा है। भारत में 34.8 फीसदी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो बड़ी तादाद है। सिर्फ एक साल में ही यह आंकड़ा 35 करोड़ से 46 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी एक साल में ही 31.5 फीसदी की बढ़ोतरी हो गई, जो बड़ा बदलाव है। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की रफ्तार अगर इसी तरह बढ़ती गई तो देश का बड़ा हिस्सा इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा होगा।

वरुण कपूर
आईपीएस

एक रिसर्च के मुताबिक, 37 फीसदी उपभोक्ताओं की उम्र 15 से 24 साल के बीच है, जबकि 38 फीसदी लोगों की उम्र 25 से 34 के बीच है। इसका मतलब यह है कि देश में 75 फीसदी इंटरनेट उपभोक्ता युवा हैं। यही कारण है कि इंटरनेट के जरिए साइबर क्राइम और इसके दुरुपयोग की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वे इस प्लेटफॉर्म पर निजी जानकारियां भी शेयर करते हैं। युवाओं के बारे में मानना है कि वे लापरवाह होते हैं। साथ ही बेवजह के एडवेंचर करते हैं और जोखिम भरे काम का मजा लेते हैं। इसलिए समाज में साइबर अपराध से बचने के लिए हमें लोगों को विशेषकर युवाओं को सावधान करना होगा। साथ ही इसके लिए बहुआयामी और दूरगामी सोच के साथ प्रभावी नीतियां बनाना पड़ेंगी।

साइबर अपराध की रोकथाम के लिए कई नीतियां बनाई जा सकती हैं, लेकिन सजगता और सावधानी सबसे अहम है, जिसमें हम बच्चों और युवाओं की इंटरनेट गतिविधियों पर नियमित नजर रखें। निगरानी का यह काम उनके माता-पिता, शिक्षक या घर के बड़े लोग कर सकते हैं। वे अपनी इस जिम्मेदारी से बचने या मुंह मोड़ने की कोशिश नहीं कर सकते। अपने बच्चों को साइबर वर्ल्ड में बिना रोक-टोक काम करने की खुली छूट नहीं दे सकते। सवाल उठता है कि माता-पिता और बड़े उनकी मॉनीटरिंग करें कैसे? ऐसे में उनके लिए कुछ सुझाव हैं।

सबसे पहले यह देखना जरूरी है कि इंटरनेट पर काम करने वाले की उम्र क्या है। वे कौन-सी साइट विजिट कर रहे हैं, अगर घर के बड़े निगरानी के दौरान यह तय कर पाने में

कठिनाई महसूस कर रहे हैं कि उम्र की सीमा कैसे तय करें तो वे इसके लिए उस वेबसाइट पर विजिट के लिए निर्धारित उम्र पता करें। जैसे फेसबुक ने रजिस्ट्रेशन की उम्र 13 साल रखी है। वॉट्स एप ने न्यूनतम उम्र सीमा 16 साल तय की है। जी-मेल ने रजिस्ट्रेशन की न्यूनतम उम्र 18 साल रखी है। इन उम्र सीमाओं का हमें अपने बच्चों की इंटरनेट या साइबर एक्टीविटी के दौरान निगरानी करते समय पूरा ध्यान रखना चाहिए, अगर आपका बच्चा इस तरह की साइबर एक्टीविटी के दौरान उम्र की शर्तों का पालन नहीं कर रहा तो इसका मतलब है उसने रजिस्ट्रेशन के समय एग्रीमेंट में झूठी जानकारी दी है, नहीं तो उसका अकाउंट ही एक्टिव नहीं होता, अगर ऐसा किया गया तो यह वैयक्तिक रूप से और दो पार्टियों के बीच हुए एग्रीमेंट में दी गई झूठी जानकारी के लिए एक अपराध है। पहले के लिए फौजदारी और दूसरे के लिए दीवानी अपराध दर्ज किया जा सकता है।

निगरानी का तीसरा तरीका है, यह पता करना कि आपके बच्चे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं। कौन-सी साइट विजिट कर रहे हैं। इसके लिए समय-समय पर बच्चों का फोन या उनका कम्प्यूटर चेक करते रहे। कभी-कभी आप उनके कमरे में बिना चेतावनी के दाखिल हों, ये देखने के लिए वो कम्प्यूटर पर क्या कर रहे हैं। यह चेक करने के लिए स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे टीम विवर या मीटिंग डैशबोर्ड आदि। इस तरह के सॉफ्टवेयर आप बच्चों को कोई डिवाइस देने के पहले उसमें लोड कर सकते हैं, ताकि आप उन पर नजर बनाए रखें।

रोकी जा सकती है 30 हजार गैरजरूरी साइट

माता-पिता अपने बच्चों की डिवाइस में गैरजरूरी कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए सॉफ्टवेयर या एप भी लोड कर सकते हैं। ऐसा ही एक एप हमने पीआरटीएस विकसित किया है। इसका नाम हमने बी स्मार्ट रखा है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इससे करीब 30 हजार गैरजरूरी साइट रोकी जा सकती है। यह भी देखें कि आपके बच्चे छिपकर फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, अगर ऐसा है तो उन्हें पासवर्ड से सुरक्षित करें।

सचेत रहना और सावधानी रखने से हम साइबर वर्ल्ड में होने वाले अपराध से बच सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट या साइबर वर्ल्ड हमारे जीवन का हिस्सा हैं, ऐसे में कोई भी छोटी-सी भूल या लापरवाही बड़ा सबक दे सकती है।

(लेखक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पद पर इंदौर में पदस्थ हैं और विचार उनके व्यक्तिगत हैं)
ईमेल: varunkapoor170@gmail.com